

साइबर सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम/बचाव हेतु 02 दिवसीय साइबर प्रशिक्षण का हुआ समापन, पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रदान किया गया प्रमाण पत्र ।

साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने व साइबर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करने, कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज श्री भानु भास्कर के निर्देशन पर चलाए जा रहे साइबर प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत दिनांक 22.03.2023 को पुलिस लाइन महोबा अवस्थित सभाकक्ष में 02 दिवसीय साइबर प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा किया गया था ।

जिसके क्रम में साइबर विशेषज्ञ डॉ० रक्षित टंडन द्वारा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, विवेचकगण व समस्त सर्विलांश सेल/साइबर सेल/अपराध शाखा/एसओजी कर्मी तथा थानों के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाने व सम्बन्धित अपराधों की शिकायतों को लेकर थाने पर आने वाले शिकायतकर्ताओं की समस्याओं के अविलम्ब निस्तारण व साइबर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना करने के उद्देश्य से साइबर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

आज दिनांक 23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा साइबर एक्सपर्ट डॉ. रक्षित टण्डन की उपस्थिति में साइबर जागरूकता कार्यशाला का समापन किया गया तथा प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले समस्त पुलिसकर्मियों को साइबर सम्बन्धी अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये ।

प्रशिक्षण के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम, समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी, विवेचकगण व समस्त सर्विलांश सेल/साइबर सेल/अपराध शाखा/एसओजी कर्मी तथा थानों के साइबर हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिस अधिकारी/कर्म०गण उपस्थित रहे ।



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा नवरात्रि के दृष्टिगत महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था का किया गया औचक निरीक्षण, तैयारियों की समीक्षा करते हुये शांति व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु दिये गए निर्देश ।

आज दिनांक 23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा चैत्र नवरात्रि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराये जाने तथा जनपद में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाये रखने के लिये जनपद मुख्यालय के बड़ी चन्द्रिका देवी मंदिर पहुंचकर भ्रमण कर समुचित पुलिस प्रबंधन तैयारियों का स्थालीय निरीक्षण किया गया एवं सुरक्षा उपकरणों व ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की मौके पर मौजूदगी की तस्दीक करते हुये ड्यूटियों को चेक कर सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये ।

इस दौरान पायी गयी त्रुटियों के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक यातायात को शांति व्यवस्था बनाये रखने, व्यापक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने व आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा मंदिर/तीर्थस्थलों पर लोगों की सुविधा व सुरक्षा हेतु समुचित पुलिस/यातायात/अन्य आवश्यक प्रबंध किये गये हैं, जनपदीय पुलिस सभी जनपदवासियों से अपील करती है कि पुलिस/प्रशासन द्वारा बनायी गयी व्यवस्था का पालन करें व यातायात नियमों का पालन करते हुये पुलिस को अपना सहयोग प्रदान करें व सुरक्षित रहें ।

जनपदीय मीडिया सेल टीम द्वारा भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट व वीडियो बयान जारी करने, साजिश रचने व माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर लगातार पैनी नजर रखी जा रही है ।



यूपी-112 पीआरवी कर्मियों को 'बेसिक पुलिस टैक्टिक्स' का दिया गया प्रशिक्षण, सदिग्ध की तलाशी व गिरफ्तारी सहित कई आधुनिक तरीके बताये गए..

आज दिनांक 23.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में पीआरवी कर्मियों का दिनांक 14.03.2023 से चल रहा 09 दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण पत्र वितरित किए गए तथा बेहतर पुलिसिंग के सम्बन्ध में अवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

मुख्यालय 112-यूपी के निर्देशन के क्रम में महोबा जिले के 19 पीआरवी कर्मियों को और चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए 'बेसिक पुलिस टैक्टिक्स' का प्रशिक्षण दिया गया जिसमें डॉयल-112 में प्रयुक्त विभिन्न तकनीकों, संचार, बातचीत कौशल, **ATR**, **MDT** कार्यप्रणाली, आपदा प्रबंधन इत्यादि का प्रशिक्षण दिया गया।

पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण में बताया गया कि कार्य के दौरान यदि किसी आरोपी को गिरफ्तार करने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे गिरफ्तार किया जाये, किसी संदिग्ध व्यक्ति या स्थान की तलाशी कैसे लेनी है और इस दौरान किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना है। पीआरवी पर तैनात पुलिस कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देने का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के दौरान होने वाली अप्रिय घटनाओं और पीआरवी के साथ सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सके।



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 04 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 23.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष श्रीनगर श्री गणेश कुमार गुप्ता द्वारा गठित टीम के उ0नि0 शशांक देव द्वारा कुल 04 नफर वारण्टी अभियुक्त 1.बृजकिशोर पुत्र बलराम उम्र करीब 27 वर्ष 2.राजेश पुत्र छैलू राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष 3.मंगल सिंह पुत्र चन्द्रभान उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम बडी टपरियन कैमाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा, सम्बन्धित मु.सं.3171/22, अ.सं.178/21 व धारा147/323/504 भादवि में व 4.बाबूलाल पुत्र तेजवा उम्र करीब 35 वर्ष, सम्बन्धित मु.सं.1334/20 अ.सं.168/2019 धारा 279/337/427 भादवि में न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट के आधार पर गिरफ्तार किया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 शशांक देव शुक्ला
2. का0 इन्द्रेश 3. का0 गंगाचरण

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1.बृजकिशोर पुत्र बलराम उम्र करीब 27 वर्ष
- 2.राजेश पुत्र छैलू राजपूत उम्र करीब 26 वर्ष
- 3.मंगल सिंह पुत्र चन्द्रभान उम्र करीब 40 वर्ष निवासीगण ग्राम बडी टपरियन कैमाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा
4. चालक बाबूलाल पुत्र तेजवा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम डिगरिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा



अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना कबरई व थाना खन्ना के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया, विवेचना निस्तारण के सम्बन्ध में दिये आवश्यक दिशा-निर्देश...

आज दिनांक **23.03.2023** को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0 के0 गौतम द्वारा थाना कबरई व थाना खन्ना के विवेचकों का अर्दली रुम किया गया। अर्दली रुम के दौरान समस्त विवेचकों से लम्बित विवेचनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से पूछताछ करते हुये लम्बित विवेचनाओं के कारण की समीक्षा की गई एवं अकारण विवेचनाओं को लम्बित रखने वाले विवेचकों को सख्त हिदायत देते हुए विवेचनाओं का समय से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचना के दौरान अपराध की प्रकृति के अनुरूप सभी तथ्यों, साक्ष्यों एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं को शामिल करके विवेचना को सुदृढ बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे कि मा0 न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति न प्रकट की जाये।

इसके अतिरिक्त अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा वांछित/वारंटियों की गिरफ्तारी करने, रात्रि में चौराहे/तिराहे पर चेकिंग करके अपराधियों के संचरण पर रोक लगाने, पिछले वर्षों में चोरी, लूट व अन्य अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों का भौतिक सत्यापन करने, अवैध शराब एवं अवैध शस्त्र रखने वालों व क्रय विक्रय करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा महिला संबंधी अपराधों में त्वरित गति से कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा समस्त को निर्देशित किया कि किसी भी मजरुब को थाने पर अधिक समय तक नहीं रखा जाये, पुलिसकर्मियों द्वारा किसी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाये तथा जनता के साथ मित्रवत व्यवहार किया जाये।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु

पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **23.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा व्यापारी बन्धुओं से वार्ता कर उनको अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी । स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये ।



महोबा पुलिस